भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2283
दिनांक 12 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

अनाथ बच्चों के लिए विशेष प्रावधान

2283. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुनः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनाथ और कमजोर बच्चों द्वारा आधार/आवश्यक पहचान दस्तावेज प्राप्त करने में उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों का संज्ञान लिया है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ अभिभावक/माता-पिता के अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यूआईडीएआई और राज्य सरकारों के समन्वय से दस्तावेजीकरण को सरल बनाने, संस्थागत प्रमाणीकरण सक्षम करने, पहचान, शिक्षा एवं कल्याण के अधिकार संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु किये गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, कौशल/रोजगार योजनाओं में अनाथ बच्चों हेतु विशेष प्रावधानों पर विचार करने का प्रस्ताव है।

(घ) यदि हाँ, तो विचाराधीन किसी भी प्रस्तावों के ब्यौरे सहित उनके कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित समय-सीमा क्या है; और

(ङ) वैकल्पिक सत्यापन तंत्रों के उपयोग सहित बिना आधार नंबर वाले अनाथों को स्कूल में प्रवेश, पोषण कार्यक्रमों, बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और अन्य कल्याणकारी लाभ से वंचित न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय है। यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने वाला प्राथमिक कानून है और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 106 के अनुसार इसके कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की है और उन्हें अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मंत्रालय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) को विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है, इनमें अनाथ बच्चे और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सीसीएल) शामिल हैं। इन सेवाओं में संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल हैं। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई) अन्य बातों के अलावा, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण उल्पब्धता, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श आदि सेवाएं प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख के अंतर्गत, बच्चों को प्रायोजन, पालन-पोषण देखभाल, दत्तक ग्रहण और पश्चात(आफ्टर) देखभाल प्रदान की जाती है।

मिशन वात्सल्य योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्कूल जाने का प्रमाण पत्र, टीकाकरण प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य जांच कार्ड इत्यादि जैसे दस्तावेज बाल देखभाल संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा, दिशानिर्देशों के अनुसार, बाल देखभाल संस्थानों को 14-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशिष्ट अल्पकालिक उपयुक्त प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम और कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध सुनिश्चित करने होंगे।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के सहयोग से लापता बच्चों, अपने परिवारों से बिछड़े बच्चों और अनाथ बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है, जिसे 25.06.2025 को जारी किया गया था।

मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देश और सलाह(एडवाइजरी) जारी की हैं। मंत्रालय किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से संवाद भी करता है।

****